



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pcef-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : ०१ / यो०ब०-२३/२०१९-५५ दिनांक : २१/१/२०२०

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वयित की जाने वाली “सिल्विकल्ट्यरल ऑपरेशन” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु रु० ४५.७२१ (पैंतालीस लाख बहुतर हजार एक सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप-आवंटन आदेश संख्या-०१ / यो०ब०-२३/२०१९-९४७ दिनांक-३०.०९.२०१९ ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में उप-आवंटित राशि के अतिरिक्त वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु रु० ४५.७२१ (पैंतालीस लाख बहुतर हजार एक सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	32.478
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	13.243
कुल :-		45.721

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-१, स्थल विवरणी अनुलग्नक-२ पर तथा ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-३ पर द्रष्टव्य है ।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान केवल मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर योजना के कार्यान्वयन के पूर्व उनके द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा ।

5. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष, शर्त एवं कार्यदर यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

~~प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,~~
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबो-23/2019-55 दिनांक— 21/1/2020

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

~~प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,~~
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबो-23/2019-55 दिनांक— 21/1/2020

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

~~प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,~~
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 0 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठले)	2019-20 (अग्रिम कार्य) (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
प्रसार वानिकी					
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	100	32.478	13.243	45.721
	योग:-	100	32.478	13.243	45.721

प्रधान ~~मुख्य वन सरक्षक~~, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-२

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली “सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना”(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धर्तक उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं मृ-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	आना / सं०	जी०पी०एस० को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	दोषप्रलैप (हेठले में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
१-	सामाजिक वानिकी प्रमङ्गल, हजारीबाग	सा० बा० प्रक्षेत्र, विष्णुगढ़		खरकी	विष्णुगढ़-270	N23° 89'34" E85° 83'56"	1145P	100
								100

योग :-

प्रधान मुख्य वन संभासक, विकास,
झारखण्ड, रो०ची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2019/55

दिनांक -

21-Jan-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भवे 03 - मजदूरी State Scheme	81587	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	3,247,800.00 रुपये बल्लीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ
2	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मामग्री State Scheme	81588	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन सौ
				 
				State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA

योगः

4,572,100.00

क्रमिक योगः

रुपये पैंतालीस लाख बहत्तर हजार एक सौ


(SRI VIKRAM SINGH SAUF IFS)

PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI